

राजस्थान – सरकार  
शिक्षा – विभाग  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर  
क्रमांक एफ20(101/31) आयो/निकाशि/2012-13/ ~~36~~ 112-122 दिनांक 4-5-2012  
आदेश

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये आयोजना मद के अन्तर्गत राजकीय विधि महाविद्यालयों के लिए उनके सम्मुख विस्तृत मदों में राशि का आवंटन किया जाता है। उक्त राशि का आहरण निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा:-

मांग संख्या -24

2202	-	सामान्य शिक्षा
03	-	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
103	-	राजकीय कालेज तथा संस्थान
(08)	-	विधि महाविद्यालय
28	-	विविध व्यय (आयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र सं.	महाविद्यालय का नाम	मद	
		41-संविदा पर व्यय	62-कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय
1	राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर (24199)	1.00	0.50
2	राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर (13162)	1.00	0.50
3	राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा (18357)	1.00	0.50
4	राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर (16500)	1.00	0.50
5	राजकीय विधि महाविद्यालय, सीकर (24204)	1.00	0.50
6	राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाडा (24205)	1.00	0.50
7	राजकीय विधि महाविद्यालय, अलवर (24203)	1.00	0.50
8	राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (9927)	1.00	0.50
योग		8.00	4.00

( अक्षरे रूपये बारह लाख मात्र )

व्यय विभागीय निर्देश एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना कर किया जावे।

(सुबीर कुमार)  
निदेशक

क्रमांक एफ20(101/31) आयो/निकाशि/2012-13/ 114 दिनांक 4-5-2012

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर ।
- 2 संबन्धित प्राचार्य को भेजकर लेख है कि मासिक व्यय विवरण के साथ उक्त राशि के व्यय का विवरण भी भेजे।
- 3 मुख्य लेखाधिकारी, कालेज शिक्षा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि व्यय का अंकमिलान कराकर व्यय के आंकड़े उपलब्ध कराने का श्रम करें।
- 4 डा धीरेन्द्र देवर्षि (व्याख्याता प्रभारी वेबसाइट) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को लेख है कि उक्त स्वीकृति को वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
- 5 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. सी.एम. खटीक)  
संयुक्त निदेशक